सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ़ा. सं. 26-11/53/2023-**एनए-नौमनि** **दिनांक** 30.01.2024

नौमनि आदेश: 2024 का 02

विषय: इंटैक्ट स्टेबिलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय संहिता, 2008 (2008 **आईएस कोड) में संशोधन और इसकी प्रयोज्यता-संबंधी।**

जबकि, भारत सरकार ने समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन, लोड लाइनों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन और जलयानों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन का अनुसमर्थन किया है। उपरोक्त कन्वेन्शनों और अनिवार्य संहिताओं में विभिन्न प्रकार के जलयानों के बारे में स्थिरता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई गई है। भारत सरकार कन्वेन्शन और इसके अनिवार्य कोडों को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए बाध्य है।

जबकि, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, यथासंशोधित, के बारे में उपरोक्त कन्वेन्शनों में शामिल किया गया है और कन्वेन्शन प्रावधानों के कार्यान्वयन किए जा सकने के लिए प्रावधान किए गए है। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, धारा 298 और 317 (5) सभी भारतीय जलयानों पर अनुमोदित स्थिरता जानकारी को ले जाना अनिवार्य करती है।

जबकि, मान्यता प्राप्त संगठनों (आरओ) को 26 दिसंबर 2014 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और यथाविनिर्दिष्ट रूप से, कन्वेन्शन के अनुसार सर्वेक्षण और प्रमाणन करने के लिए प्रत्येक आरओ के साथ एक समझौता किया गया है। सरकार ने दिनांक 07 नवंबर 1997 की अधिसूचना के माध्यम से लोड लाइन असाइनिंग अथॉरिटी को अधिसूचित किया है। 2013 के नौमनि आदेश 6 में आरओ का सर्वेक्षण और प्रमाणन करते समय आईएमओ के अनिवार्य कोडों का पालन करने की सलाह दी है। इसके अलावा, सरकार ने इस संबंध में मल्टीपल लोड लाइन्स और स्टेबिलिटी आवश्यकताओं को जारी करने पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुए 2013 की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना 21 जारी की है।

...2

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.go

यह ध्यान में रखते हुए कि, आईएमओ ने समय-समय पर इंटैक्ट स्टेबिलिटी कोड 2008 में विभिन्न संशोधन जारी किए हैं, जो इस आदेश के साथ अनुबंध-1 में संलग्न हैं, जो भारतीय जलयानों पर लागू होते हैं। इसलिए, हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे यथासंशोधित, इंटैक्ट स्टेबिलिटी कोड 2008 को पूर्ण रूप से प्रभावी करने के लिए प्रावधानों के अनुपालन हेतु इस आदेश द्वारा दिशा-निर्देश प्राप्त करें।

(श्याम जगन्नाथन)
नौवहन महानिदेशक

सेवा में,
नौमनि वेबसाइट के माध्यम से सभी हितधारक

(अस्वीकरण- हिन्दी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।)